भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2201

12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संविदा-आधारित कर्मचारी

2201. श्री राहुल गांधी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्तमान में कार्यरत संविदा-आधारित कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे संविदा-आधारित कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पूर्व में आयुध निर्माणी बोर्ड में स्थायी पदों पर कार्यरत थे;

(ग) क्या रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संविदा-आधारित कर्मचारियों को और विशेषकर जोखिमपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को, चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक अवकाश, जोखिम भत्ता और पदोन्नति के अवसर जैसे रोजगार लाभ प्राप्त होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत दस वर्षों के दौरान आयुध निर्माणी बोर्ड/रक्षा संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों (स्थायी और संविदा-आधारित दोनों) के पदों के लिए स्वीकृत पदों, भरे हुए पदों और रिक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अनुभवी संविदा-आधारित कर्मचारियों को नियमित करने या उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) : दिनांक 09.12.2025 की स्थिति के अनुसार रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संविदा आधारित (निश्चित अवधि) कर्मचारियों की कुल संख्या 9456 है ।

(ख) : चूंकि पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड दिनांक 01.10.2021 से अस्तित्व में नहीं है इसलिए ऐसे कोई भी संविदा आधारित कर्मचारी नहीं हैं जो आयुध निर्माणी बोर्ड में स्थायी पदों पर कार्यरत थे ।

(ग) : रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संविदा-आधारित कर्मचारियों को रोजगार संबंधी सभी लाभ जैसे, चिकित्सा अवकाश, आकस्मिक अवकाश, जोखिम भत्ता तथा पदोन्नति के अवसर आदि इस संबंध में मौजूदा सरकारी नियमावली एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त होते हैं ।

(घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) : संविदा-आधारित कर्मचारियों का नियमितीकरण अथवा उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ प्रदान करना, इस संबंध में प्रासंगिक विधानों तथा मौजूदा सरकारी निर्देशों के अनुसार शासित होता है ।

*****